

भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड
कोटा- 324005 राजस्थान

फा0स0 I(22)-3/Adm/2014-

दिनांक 25.02.2014

विज्ञापित

राजस्थान इकाई में अफीम फसल वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों जैसे झालावाड, निम्बाहेडा, सिंगोली याम, भीलवाडा, चित्तौडगढ, छोटीसादडी एवं प्रतापगढ इत्यादि से अफीम गोदाम, चित्तौडगढ तथा नीमच फैक्ट्री (M0प्र0) में अफीम के कन्टेनरों को बंद ट्रकों द्वारा निर्देशानुसार सुरक्षित रूप से पहुंचाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

नियम एवं शर्तें

1. विभाग को 5 से 6 बंद ट्रको की आव यकता होगी। ट्रक, ट्रबो 30 फीट लम्बाई का होना चाहिए, जो **पूरी तरह से बंद हो, जिसके दरवाजे पर ताला लगा कर सील किया जा सके**। ट्रक की टूट-फूट, रिपेयर की जिम्मेवारी स्वयं पार्टी की होगी। सभी ट्रको पर जी0पी0एस0 (ग्लोबल पोजि िनिंग सिस्टम) इन्स्ट्रूमेन्ट लगा होना अनिवार्य है।
2. निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार देना होगा, जिस पर **“अफीम तौल कार्य हेतु बंद ट्रको की निविदा”** अंकित होना चाहिए। निविदा में लागू सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स अलग-2 कर द ाए होने चाहिए।
3. निविदादाता अपनी मोहर बंद निविदा इस कार्यालय में दिनांक **11.03.14** को **18:00** बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे दिनांक **12.03.14** को, उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 11:00 बजे खोला जाएगा।
4. निविदादाताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि 1 रुपये 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो **अधीक्षक (कार्यपालक) केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा** के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। सफल निविदादाता को सेवा कर जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर अमानत राशि वापस की जाएगी।
5. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरम्भ होगा, जो माह अप्रैल, 2014 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 20 दिनों तक चलेगा। दिनों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते हैं। अफीम तौल कार्य आरम्भ होने की तिथि की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जायेगी।
6. टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
7. नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी झालावाड, चित्तौडगढ - III, भीलवाडा, प्रतापगढ होगा। आपको सभी ट्रक आदे ानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी झालावाड, चित्तौडगढ - III, भीलवाडा, प्रतापगढ के अफीम तौल केन्द्र, झालावाड, निम्बाहेडा, सिंगोली याम, भीलवाडा, प्रतापगढ एवं छोटी सादडी में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आव यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे। कार्य समाप्ति पर ट्रक अफीम गोदाम चित्तौडगढ अथवा अफीम फैक्ट्री नीमच से ही रीलीज कर दिये जायेंगे।
8. इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
9. यदि निविदादाता द्वारा निर्िचत समय तक ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है एवं निविदादाता द्वारा तुरन्त समाधान नहीं करने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाडे पर लेवे तथा इस संबंध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
10. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन् योरेंस होना अनिवार्य है।
11. ट्रक का वाहन चालक व क्लीनर न े का आदी नहीं होना चाहिए।
12. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
14. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
15. सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होंगे।

आज्ञा से

(सीताराम शर्मा)

उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान।